

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2024/136737/FTP/FATEHPUR/840/CFO

दिनांक : 14-11-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **ST. MARYS SCHOOL KHAGA** पता **880 AND 882, KHAGA, NAUBASTA ROAD, FATEHPUR** तहसील - **KHAGA** प्लॉट एरिया **28066.33 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **6924.77** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
ST MARYS SCHOOL KHAGA	2	0	14.95 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **ST. MARYS SCHOOL KHAGA** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एनओबीओसीओ एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आईओएसओ के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण **मुख्य अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **20-11-2024** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **F.P. SELVAM, Mob- 6282393291** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एनओबीओसीओ की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **20-11-2024** से **20-11-2027** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **ST. MARYS SCHOOL KHAGA** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **ST. MARYS SCHOOL KHAGA** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : 1-भवन का वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध (एओएमओसीओ) कराया जाना आवश्यक होगा एवं 02 अग्निशमन कार्य में प्रशिक्षित कर्मी (24x 7 घंटे) अग्निशमन यंत्रों के संचालन हेतु तैनात रहेंगे। 2-भवन में ढाँचागत परिवर्तन/अतिरिक्त निर्माण कराये जाने की दशा में अग्निशमन विभाग द्वारा पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। 3-भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखना अनिवार्य होगा। 4- प्रतिवर्ष विहित फीस लेखा शीर्षक में जमा कराने के उपरांत फायर ऑडिट कराना अनिवार्य होगा। 5- विद्युत वायरिंग एवं फिटिंग्स का प्रत्येक वर्ष प्राधिकृत अभिकरण से ऑडिट कराकर विद्युत से सुरक्षा का प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

UMESH GAUTAM

73736DF6C93C9B98CC304A547A773864D0ED0FB6

20-11-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : **20-11-2024**
स्थान : **FATEHPUR**

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.